अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं वंचितों के उत्थान और सशक्तिकरण तथा सामाजिक समरसता संबंधी विषयों पर हिंदी में अनुसंधान आधारित लेखन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण

1. सामान्य

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की प्रकाशन अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं वंचितों के उत्थान और सशक्तिकरण तथा सामाजिक समरसता संबंधी विषयों पर हिंदी में अनुसंधान आधारित लेखन हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इस स्पेशल कॉल का उद्देश्य हिंदी भाषा में अकादमिक प्रकाशनों को प्रोत्साहित करना है।

2. अनुदान के लिए पात्रता

2.1 यह योजना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं।

2.2 यदि पांडुलिपि कोई पीएच.डी. उपाधि/शोध अध्ययन हैं तो प्रदान किए जाने की तिथि या शोध अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट स्वीकृत किए जाने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

3. आवेदन कैसे करें

3.1 वित्तीय अनुदान के लिए सभी आवेदन इन दिशानिर्देशों के साथ संलग्न किए जाने चाहिए, साथ ही निम्नलिखित सभी अनुलग्नक और संलग्नक भी होने चाहिए:

अनुलग्नक-I पांडुलिपि का सारांश।

अनुलग्नक-II आवेदक का संक्षिप्त बायोडाटा (सीवी)।

अनुलग्नक-III पांडुलिपि की एक प्रति (सजिल्द)।

अनुलग्नक-IV यदि आरक्षित वर्ग से हैं तो विधिवत् सत्यापित एवं आवेदन की अंतिम तिथि को वैध प्रमाण पत्र संलग्न करें।

अनुलग्नक-V प्रतिष्ठित शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों की मूल पुनर्मुद्रण (रिप्रिंट) या फोटोकॉपी।

3.2 आवेदन पत्र, पांडुलिपि की मुद्रित प्रति (हार्ड कॉपी) और आवश्यक दस्तावेजों सहित, निम्नलिखित पते पर प्रेषित करें: प्रकाशन एवं अनुसंधान सर्वेक्षण प्रभाग (पीआरएस), भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अरुणा आसफ अली मार्ग, ज.ने.वि. संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली -110067।

3.3 यह सुनिश्चित करें कि आवेदन की हार्ड कॉपी उपरोक्त पते पर दिनांक 17.03.2026 तक पहुंच जाए।

3.4 अपूर्ण आवेदनों पर प्रकाशन अनुदान हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

4. अनुदान की शर्तें

4.1 पांडुलिपि अनुदान प्रदान किए जाने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रकाशित की जानी चाहिए। ICSSR द्वारा प्रदत्त अनुदान में छपी पुस्तक का कॉपीराइट ICSSR के पास होगा।

4.2 सहायता अनुदान के लिए प्रस्ताव एक वर्ष के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, जब तक कि ICSSR लेखक/प्रकाशक द्वारा विशेष रूप से किए गए अनुरोध को आगे न बढ़ा दे।

4.3 इस योजना के अधीन वर्तमान में वित्तीय सहायता अधिकतम 2,00,000 /- रुपये (दो लाख रुपये मात्र) तक है। अनुदान की समुचित राशि प्रत्येक प्रस्ताव में प्रस्तुत विवरण के अनुसार तय की जाएगी।

4.4 इस योजना के तहत सहायता अनुदान के लिए अनुमोदित पांडुलिपि ICSSR द्वारा विधिवत अनुमोदित प्रकाशक के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। ICSSR अनुमोदित प्रकाशकों की एक सूची बनाए रखेगा और यह अनुदान प्राप्तकर्ता के लिए अनुमोदित सूची में से किसी भी प्रकाशक के साथ करार करने के लिए खुला रहेगा। अनुदान का भुगतान सीधे प्रकाशक को किया जाता है।

4.5 प्रकाशक को कम से कम 500 प्रतियां मुद्रित करना आवश्यक है।

4.6 अनुदान प्राप्तकर्ता को प्रकाशक के साथ हुए करार की एक प्रति ICSSR को अभिलेख के लिए प्रस्तुत करनी होगी।

4.7 प्रकाशक मानक प्रोटोकॉल के अनुसार राजस्व (रॉयल्टी) का भुगतान करेगा और सामान्यतः यह भुगतान लेखक को वास्तविक बिक्री पर मुद्रित मूल्य के 10% से कम नहीं होगा।

4.8 पुस्तक का मूल्य प्रकाशक द्वारा किए गए शुद्ध निवेश (प्रकाशन की वास्तविक लागत में से ICSSR द्वारा स्वीकृत सब्सिडी की राशि घटाकर) के पांच गुना से अधिक नहीं होगा।

4.9 अनुदान प्राप्तकर्ता को शीर्षक में किसी भी परिवर्तन या पांडुलिपि में मूलभूत परिवर्तन के लिए ICSSR की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

4.10 प्रकाशक को प्रकाशन की कम से कम 35 प्रतियां ICSSR को निःशुल्क उपलब्ध करानी होंगी, साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र, सहायता अनुदान बिल और लेखक का प्राधिकार पत्र भी

प्रस्तुत करना होगा, जिसमें प्रकाशक को ICSSR से सीधे अनुदान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया हो।

4.11 इस योजना के अधीन समर्थित प्रकाशनों में प्रमुख स्थान पर निम्नलिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए:

इस प्रकाशन को ICSSR द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रस्तुत तथ्यों, व्यक्त किए गए विचारों या निष्कर्षों की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से लेखक की है और ICSSR इनके लिए कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

इस योजना की शर्तों की व्याख्या का अधिकार आईसीएसएसआर के पास सुरक्षित है एवं किसी भी स्तर/चरण में आईसीएसएसआर के किसी भी नियम के उल्लंघन पर अनुबंध स्वत: समाप्त कर दिया जाएगा।